श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सम्मानित महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश के विभिन्न प्रान्तों की वन भूमि पर जनजातियों की कई पीढ़ियों से रह रहे लोगों को अपने कार्यों के लिए बैंकों से लोन लेने तथा केन्द्र सरकार की इन्दिरा आवास जैसी योजनाओं से लाभान्वित होने एवं बिजली व पानी आदि मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उन्हें मिली जमीनों पर भूमिधरी अधिकार दिये जाएं।

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नैनीताल तराई भाबर क्षेत्र के लिए गजट नोटिफिकेशन किया गया था। उसके अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर विधान सभा क्षेत्र में जंगलों में वर्षों से अपनी जमीन पर रह रहे थारू एवं बोक्सा जनजातियों को जमीनें वर्ग तीन व चार में दे दी गईं। उनकी जमीनों को वर्ग एक (क) की श्रेणी में नहीं किया गया तथा उन्हें जमीनों के भूमिधरी अधिकार नहीं दिए गए। इस कारण उन्हें उनकी जमीनों पर बैंक से ऋण भी नहीं दिया जाता है और केन्द्र सरकार की इन्दिरा आवास जैसी लाभान्वित योजनाओं से भी उन्हें वंचित होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

मालधन चौड़ क्षेत्र में शिवनाथ पुर नई व पुरानी बस्ती, पटरानी व कुमगडार तथा नैनीडांडा के सुन्दरखाल आदि जो वन गांव हैं, वहां बिजली के खम्बे नहीं लग पा रहे हैं, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तथा वहां बच्चों के लिए विद्यालयों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां की जनजातियों को जमीन पर भूमिधरी अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमारी सरकार के विकास के कार्य उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि विभिन्न प्रदेशों की वन भूमि पर कई पीढ़ियों से रह रहे जनजाति के लोगों तथा उत्तराखंड के थारू व बोक्सा आदि जनजाति के लोगों को, जिनकी जमीनें वर्ग तीन व चार में रखी गई हैं, उन्हें वर्ग एक (क) के अधिकार देकर भूमिधरी अधिकार दिए जाएं एवं उन सब के गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाए ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए उन्हें वन भूमि पर स्वामित्व का भूमिधरी अधिकार दिए जाने हेतु अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की भांति एक उपयुक्त केन्द्रीय अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता है।